भव्य रूप से मनाई जाएगी बाबा साहब की जयंती : विधायक सिकरवार

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 10 अप्रैल. बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण करना है। उन्होंने संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने सदैव कानून के शासन का समर्थन किया। यह विचार आज ग्वालियर पूर्व से विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने बाबा साहब की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर हुई कार्यकर्ता बैठक में व्यक्त किए। आज ललितपुर कॉलोनी कार्यालय पर बाबा साहब की जयंती के पूर्व 13 अप्रैल एवं बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता एवं समाज जनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश प्रवक्ता राम पाण्डे, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग एवं पार्षद केदार बरहादिया, पूर्व पार्षद रामअवतार जाटव, डी.आर. दोहरे, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद जैन, रेखा जाटव, संदीप यादव, एम.आई.सी सदस्य एवं पार्षद गायत्री सुधीर मण्डेलिया, बेताल मामा, पार्षद सुरेन्द्र साहू, पार्षद प्रमोद खरे, बृजेन्द्र सिंह तोमर 'कल्लू', रूपेश दुबे, डॉ. दशरथ सिंह, प्रतीक जैन 'लल्लू', राहुल गुर्जर, जीतू कुशवाह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शिवहरे एवं आभार एम.आई.सी सदस्य एवं पार्षद अवधेश कौरव ने किया। बैठक में विधायक डॉ. सिकरवार ने कहा कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी।

राजस्थान ने बेंगलुरु को धोया

202 रन का लक्ष्य 18 ओवर में हासिल किया

गुवाहाटी 10 अप्रैल. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच नंबर-16 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुआ. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की. मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 18 ओवर में हासिल कर लिया.

राजस्थान की जीत में वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की अहम भूमिका रही. वैभव ने 26 बॉल पर 78 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और सात छक्के शामिल रहे. वहीं जुरेल ने 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 43 बॉल पर नाबाद 81 रनों का योगदान दिया. राजस्थान रॉयल्स की मौजूदा सीजन में ये लगातार चौथी जीत रही. रनचेज में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. दूसरे ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल (13 रन) का विकेट गंवा दिया, जो जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए. यशस्वी तो आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग जारी रही. वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों पर फिफ्टी जमा दी, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल रहे.

वैभव सूर्यवंशी का साथ ध्रुव जुरेल ने भी बखूबी दिया और तूफानी बल्लेबाजी की. वैभव और जुरेल के बीच दूसरे विकेट के लिए 37 बॉल पर 108 रनों की साझेदारी हुई. इस साझेदारी को क्रुणाल पंड्या ने ब्रेक किया, जिन्होंने वैभव को पवेलियन भेजा. वैभव ने 8 चौके और सात छक्के की मदद से 26 बॉल पर 78 रन बनाए.

क्रुणाल पंड्या ने इसके बाद अगली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर (0 रन) को भी चलता कर दिया. वहीं रियान पराग (3 रन) का विकेट जोश हेजलवुड ने झटका. पराग के आउट होने के समय राजस्थान का स्कोर 134/4 था. यहां से रवींद्र जडेजा (24* रन) और ध्रुव जुरेल ने नाबाद 68 रन जोड़कर टीम को जीत दिला दी. टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही. पहली ही गेंद पर उसने फिल साल्ट (0 रन) का विकेट गंवा दिया, जो जोफ्रा आर्चर का शिकार बने.

स्कोर बोर्ड

बेंगलुरु बल्लेबाजी	रन	गेंद	चौके	छक्के
फिल साल्ट	0	1	0	0
विराट कोहली	32	16	7	0
देवदत्त पडिक्कल	14	7	3	0
रजत पाटीदार	63	40	4	4
क्रुणाल पंड्या	1	6	0	0
जितेश शर्मा	5	8	0	0
टिम डेविड	13	9	2	0
रोमारियो शेफर्ड	22	11	2	1
वेंकटेश अय्यर	29	15	1	2
भुवनेश्वर कुमार	9	7	1	0

अतिरिक्त 13, **कुल** 20 ओवर में 201/8

राजस्थान गेंदबाजी– जोफ्रा आर्चर 3-0-33-2, नंद्रे बर्गर 3-0-32-0, संदीप शर्मा 4-0-47-1, रवि बिश्नोई 4-0-32-2, रवीन्द्र जड़ेजा 2-0-14-1, ब्रिजेश शर्मा 4-0-37-2.

राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी				
यशस्वी जायसवाल	13	8	0	2
वैभव सूर्यवंशी	78	26	8	7
ध्रुव जुरेल	81	43	8	3
शिम्रोन हेटमायर	0	1	0	0
रियान पराग	3	5	0	0
रवींद्र जड़ेजा	24	25	1	0

अतिरिक्त 3, **कुल** 18 ओवर में 202/4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गेंदबाजी– भुवनेश्वर कुमार 4-0-37-0, जोश हेज़लवुड 4-0-44-2, अभिनंदन सिंह 3-0-54-0, क्रुणाल पंड्या 4-0-30-2, टिम डेविड 1-0-18-0, रोमारियो शेफर्ड 2-0-18-0

देवखो में चला सफाई अभियान जल संरक्षण का दिया संदेश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 10 अप्रैल. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन अभियान परिषद ग्वालियर से संबद्ध नवांकुर संस्था 'सफल युवा मंडल' द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शुक्रवार को तिघरा रोड स्थित देवखो में सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने झरने और उसके आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की तथा जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही आमजन को जागरूक करते हुए बताया गया कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर सफल युवा मंडल के अध्यक्ष अरविंद कुशवाह ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता ही जल संरक्षण की पहली सीढ़ी है। यदि हम अपने आसपास के जल स्रोतों को साफ और सुरक्षित रखेंगे, तभी शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जल की बर्बादी से बचें और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें।

गर्भवती माताओं को बताए पौष्टिक आहार के लाभ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 10 अप्रैल. गर्भवती अवस्था में संतुलित और पोषक आहार का क्या महत्व है, यह जानकारी पोषण पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत वार्ड-10 स्थित कोटेश्वर कॉलोनी व वार्ड-9 स्थित रंगियाना मोहल्ला में आयोजित किए गए विशेष स्वास्थ्य शिविर में माताओं को दी गई। माताओं को बताया गया कि पोषक आहार गर्भवस्था के दौरान बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही शिशु को 6 माह तक माता के दूध का सेवन कराया जाना चाहिए, जिससे शिशु का बेहतर विकास हो सके।

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बताया गया कि गर्भवस्था के दौरान माताएं भारी वजन नहीं उठाएं। साथ ही नियमित रूप से पौष्टिक आहार लें, जिससे गर्भवस्था के दौरान शिशु स्वस्थ्य रहे। माताओं को गर्भवस्था के दौरान नियमित रूप से आयरन की गोलियों का सेवन करने की सलाह दी गई जिससे माताओं में खून की कमी नहीं हो। साथ ही बताया कि शिशु को जन्म से 6 माह तक दूध का सेवन कराया जाए। 6 माह के उपरांत बच्चे को दूध के साथ ऊपरी आहार का नियमित रूप से सेवन कराने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही माताओं को टी.टी के टीके लगवाने, साफ-सफाई के साथ शिशुओं को पौष्टिक आहार देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें बताया गया कि शिशुओं के मस्तिष्क का 90 प्रतिशत भाग प्रारम्भ के तीन वर्षों में विकसित होता है, इसलिए बच्चों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें। कार्यशाला में विविध व्यंजनों से युक्त पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता, परियोजना शहर-1 ग्वालियर, पर्यवेक्षक साधना शर्मा, साविता शिरोमणि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं व जनसमुदाय उपस्थित था।

श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य महोत्सव शुरू

ग्वालियर। अंतरराष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद, शाखा लश्कर द्वारा जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का 549वाँ प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जा रहा है । यह महोत्सव शुक्रवार से 14 अप्रैल तक चलेगा। महोत्सव का आयोजन श्री गिरिराज धर्मशाला, दौलतगंज, लश्कर (ग्वालियर) में किया जाएगा। कार्यक्रम पूज्य गोस्वामी श्री 108 श्री शरदकुमार जी महाराज (कोटा) के सानिध्य में सम्पन्न होंगे। महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन कथा, सत्संग, भजन-कीर्तन, पूजन एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। आज शाम आचार्य श्री का भव्य नगर आगमन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद रहे। परिषद् ने सभी श्रद्धालुओं एवं वैष्णवजनों का स्वागत किया।

हाईकोर्ट में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आज

ग्वालियर 10 अप्रैल। हाईकोर्ट में 11 अप्रैल को वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के प्रथम चरण में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, सुरक्षाकर्मी आदि को स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति आनंद पाठक के मार्गदर्शन में मीडिएशन हॉल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, सुरक्षाकर्मी आदि का परीक्षण शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा किया जाएगा।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर म.प्र.
(विकास परिसर थाटीपुर ग्वालियर)
[Phone: 0751-2232466
E-mail ID- eeresgwalior-mp@nic.in]
क्रमांक 686/ वाहन निविदा/ग्रा.यां.से./ 2026 ग्वालियर दिनांक 06/04/26

// वाहन किराये हेतु संक्षिप्त निविदा आमंत्रण //

जिला ग्वालियर में कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्माण कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं शासकीय उपयोग हेतु शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम रूपये 25000.00 (पच्चीस हजार रूपये) में एक वाहन मय चालक के मासिक किराये पर लेने की आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिक प्रत्येक निविदा प्रपत्र के लिए राशि रूपये 1000.00 (एक हजार मात्र) का चालान शासकीय खजाने में जमा कर दिनांक 13.04.2026 से 16.04.2026 तक कार्यालयीन समय में निविदा आमंत्रण प्रपत्र क्रय कर सकते है। उक्त प्रस्ताव के साथ अमानत राशि के रूप में रू 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) की FDR कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर के पक्ष में एक वर्ष की अवधि की देय हो, दिनांक 17.04.2026 समय 3.00 बजे तक जमा कर सकते है तथा निविदा उसी दिनांक 17.04.2026 को शाम 3:30 बजे निविदाकारो एवं अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शेष शर्ते कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है। निविदा की शर्ते यथावत रहेंगी।

G-11294/26

(एस.के.महोबिया)
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
प्रधान कार्यालय, ऑफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर, भोपाल-23
दूरभाष : (कार्या.) 0755-2600860, ई-मेल : mpsscaho@gmail.com, वेबसाइट : www.mpssca.org

निविदा आमंत्रण सूचना

बीज प्रमाणीकरण संस्था के थर्मल ट्रान्सफर प्रिन्टर एवं वेक्स रेजिन रिबन क्रय किये जाना है इस हेतु ऑनलाइन ई-टेण्डर दिनांक 10.04.2026 को अपरान्ह 5.00 बजे से आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदायें, ई-निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर निर्धारित तिथि एवं समय पर आमंत्रित हैं। इस वेबसाइट पर निर्धारित दस्तावेज, जिसमें निर्देश, शर्ते एवं निविदा कार्यक्रम आदि का विस्तृत उल्लेख है, उपलब्ध हैं।

म.प्र. माध्यम/125293/2026 प्रबंध संचालक

हाई कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन

ग्वालियर 10 अप्रैल. बाबासाहब डॉ. आंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर ग्वालियर के हाई कोर्ट परिसर में पुलिस अधीक्षक को मुख्य न्यायाधीश म.प्र. के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया। बाबासाहब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मूर्ति स्थापना के समर्थक वकीलों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया गया था। हालांकि, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन ने सुबह से ही कार्यक्रम को रोक दिया। कार्यक्रम रोके जाने के बाद अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच घंटों खींचतान चलती रही। इसके बाद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक मांग नहीं, बल्कि न्याय और समानता के प्रतीक के सम्मान का विषय है। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा लगने से न्यायालय में न्याय और संवैधानिक मूल्यों की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी। बहुजन समाज के अधिवक्ताओं में लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर भारी आक्रोश है, जिसे मूर्ति स्थापना के जरिए ही शांत किया जा सकता है। अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे कानून और शांति के दायरे में रहकर अपनी मांग जारी रखेंगे। उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि सरकार और माननीय उच्च न्यायालय उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही प्रतिमा स्थापना हेतु सकारात्मक कदम उठाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय एड. धमेन्द्र सिंह कुशवाह, एड. सरनाम सिंह कुशवाह, एड. विश्वजीन रतौनिया, एड. रायसिंह बौद्ध, एड. रिंकू सिंह, एड. भूपेन्द्र कुशवाह, एड. पूरन सिंह राणा, एड. आकाश वर्मा, एड. जितेन्द्र सिंह, एड. राहुल, एड. श्याम छैया, एड. माथुर आदि लोग मौजूद रहे।

आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में होंगे विभिन्न आयोजन

ग्वालियर 10 अप्रैल। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे इसके लिए कलेक्टर रूचिका चौहान ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सोजान सिंह रावत को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तरीय शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जयंती के उपलक्ष्य में चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 अप्रैल को जनपद पंचायत डबरा एवं भितरवार में व 13 अप्रैल को जनपद पंचायत मुरार एवं घाटीगांव में शिविर आयोजित कर शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित कराया जाएगा।

जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मैं, आर्मी नं. 3001359W HAV, ब्रजेन्द्र सिंह निवासी 3 मजरा पे का पुरा, ग्राम पृथ्वीपुरा, तह. गोरमी जिला भिण्ड (म.प्र.), है। तथा मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री **आशी गुर्जर** की **जन्मतिथि 15/02/2009** दर्ज है जोकि गलत अंकित है। तथा उसके सभी प्रकार के दस्तावेजों में **जन्मतिथि 15/09/2009** दर्ज है जो सही व सत्य है। तथा मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री **आशी गुर्जर** की जन्मतिथि 15/02/2009 के स्थान पर **जन्मतिथि 15/09/2009** दर्ज किया जावे। सत्यापित एफिडेविट नं. BX 370609 दिनांक 10/04/2026.

CHANGE OF NAME

I, **SONOM RAI** Daughter of **OM PRAKASH RAI** Residing at SNCO'S MESS, New Billet, Air Force Station, Digaru, District- Kamrup (M) State- Assam, Pin-782402 have changed my name from **SONOM RAI** to **SONAM RAI** due to mismatch in my Father's Service Documents. Vide Affidavit No. IN-AS28770243341164Y Dated 07/04/2026 before District Court, Kamrup (M) at Guwahati.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार नवल किशोर दोहरे पुत्र श्री ठाकुरी प्रसाद ने उक्त अचल सम्पत्ति भवन स्थित ग्राम बडागाँव मुरार जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 502 का भाग 1125 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 61 है, जो मेरे पक्षकार की क्रयशुदा सम्पत्ति ई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. एम पी 142592022ए4621871 तारीखी 11.6.2022 में नवल सिंह पुत्र श्री गेंदालाल द्वारा मु. आम अनिल यादव पुत्र श्री ग्यादीन यादव से क्रय किया। मेरे पक्षकार के द्वारा क्रयशुदा सम्पत्ति की चतुरसीमा निम्नानुसार है:- पूर्व में - दीगर प्लॉट, पश्चिम में - विक्रेता सम्पत्ति, उत्तर में -विक्रेता सम्पत्ति, दक्षिण में-रोड जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट है। लेकिन मेरे पक्षकार नवल किशोर दोहरे पुत्र श्री ठाकुरी प्रसाद की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता नवल सिंह पुत्र श्री गेंदालाल द्वारा मु. आम अनिल यादव पुत्र श्री ग्यादीन यादव के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता के परिवारिक सदस्य सहभूस्वामी श्रीमती धनवन्ती पत्नी स्व. श्री गेंदालाल, भंवर सिंह, छोटे सिंह, सुल्तानसिंह, फूलसिंह, ग्यादीन पुत्रगण श्री गेदालाल किसी भी सदस्य को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 5 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरा पक्षकार अचल सम्पत्ति प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट को बधंक रखकर हाउसिंग लोन की सुविधा आदित्य बिरला हाउसिंग फायनेंश लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रहा है, जो सुचित हो।
दिनांक-10.04.2026
स्थान- ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री अरविन्द सिंह राजपूत ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 28 एवं 27 का भाग ब्लॉक -यू स्थित श्री श्याम सिटी गोल पहाड़िया रोड ग्राम भगवानपुरा गिरवाई जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जिसका पटवारी हल्का नं. 25 है जो कि सर्वे क्र. 163/1 का भाग 875 वर्गफुट है, उक्त संपत्ति को क्रय करने बावत मेरी पक्षकारा श्रीमती अंगूरी देवी ने विक्रेता श्री शिव सिंह यादव से अनुबंध करना तय किया है। मेरे पक्षकार के विक्रेता श्री शिव सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एमपी 142602024ए11333143 दिनांक 18.11.2024 में श्री पूरन सिंह श्री लाखन सिंह पुत्रगण श्री प्रभु के द्वारा सम्पादित किया। जिसका कुल रकवा 0.4290 हेक्टेयर भूमि है। मेरे पक्षकार के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नप्रकार है:-पूर्व में-रास्ता आम, पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 19 एवं प्लॉट क्रमांक 20 का भाग, उत्तर में-प्लॉट क्रमांक 27 का भाग, दक्षिण में-प्लॉट क्रमांक 29 जिसका कुल क्षेत्रफल 875 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकार के विक्रेता श्री शिव सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह की क्रयशुदा संपत्ति में विक्रेता श्री पुरन सिंह, श्री लाखन सिंह पुत्रगण श्री प्रभु के द्वारा अचल संपत्ति भूमि सर्वे क्रमांक 160/1, 161/2 एवं 163/1 का कुल रकवा 0.4290 हेक्टेयर भूमि को विक्रीत किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंस या सह भूस्वामी श्री कैलाश, श्री बैजनाथ पुत्रगण श्री प्रभु को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद काई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरी पक्षकारा अचल संपत्ति प्लॉट क्रमांक 28 एवं प्लॉट क्रमांक 27 का भाग ब्लॉक यू कुल क्षेत्रफल 875 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई.सी.आई.सी.आई. एच.एफ.सी. सिटी सेंटर ग्वालियर से आवंटित करा रहा है। जो सूचित हो।
दिनांक-10.04.2026
स्थान-ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मैं DEVANTI DEVI (Existing name of mother as per NOK) is legally mother of No 4291046W Rank-NK Name- Manish Kumar Singh presently residing at Village - Rushi Gamharaya, Post- Rushi P.S Jalalpur, District Chapra, State Bihar, Pin-841205 सूचित करती हूं कि- मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी जन्मतिथि 17 Feb 1967 त्रुटिवश अंकित है। अतः मेरी सही जन्मतिथि 01 Jan 1964 को मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। Vide Affidavit No. DM 740584 & Date- 09.04.2026 before District Court Gwalior

CHANGE OF NAME

I, No. 4002990N Rank-Hav Name- HARINDER KUMAR Unit of 9 Dogra C/o 56 APO currently residing at Vill- Sahadat Pura, Maunath Bhanjan, Mau, Uttar Pradesh-275101 have changed my daughter name from **MUSHKAN** to **MUSKAN BHARDWAJ** vide Affidavit No Vide Affidavit No. BX 717798 & Date- 10.04.2026 before District Court Gwalior

CHANGE OF DATE OF BIRTH

I, CHINTA DEVI (Service Document) mother of Dharmendra Kumar Yadav Presently residing At Vill- Hekam, PO- Ekma, Teh- Chhapra, Distt- Chhapra, State- Bihar, PIN -841208 have changed my Date of Birth from **01.01. 1959** to **01.01.1962** vide Affidavit No. BX 717797 dated 09.04.2026 MP Court, Gwalior(MP)

CHANGE OF DOB

I, DHRANGI VALIBEN VAHATABHAI mother of No JC-562788N Rank- NB SUB Name DHRANGI KALABHAI VAHATABHAI, Presently residing at Vill- KANSARA, PO- IQBALGADH, TEHSIL- AMIRGADH, DIST- BANASKANTHA, GUJRAT-385135 inform that in my son's service record my date of birth is entered 02/01/1971 which is wrong, In all documents my Date of birth (DOB) is 01/01/1963 including my Aadhar card no. In future, my date of birth should be depicted as 01/01/1963 in all documents and service records via affidavit no. BX 717803 Date: 09/04/2026

CHANGE OF DOB

I, DHRANGI VAHATABHAI GOBARABHAI father of No JC-562788N Rank- NB SUB Name DHRANGI KALABHAI VAHATABHAI, Presently residing at Vill- KANSARA, PO- IQBALGADH, TEHSIL- AMIRGADH, DIST- BANASKANTHA, GUJRAT-385135 inform that in my son's service record my date of birth is entered 03/09/1966 which is wrong, In all documents my Date of birth (DOB) is 01/01/1957 including my Aadhar card no. In future, my date of birth should be depicted as 01/01/1957 in all documents and service records via affidavit no. BX 717802 Date: 09/04/2026

CHANGE OF NAME

I, JC-562788N Rank- NB SUB Name DHRANGI KALABHAI VAHATABHAI, Presently residing at Vill- KANSARA, PO- IQBALGADH, TEHSIL- AMIRGADH, DIST- BANASKANTHA, GUJRAT-385135, inform that in my service record my son name is entered VIRMA BHAI which is wrong, In all documents my son name is DHRANGI VIRMABHAI KALABHAI (DOB- 03/06/2009) including his Aadhar card. In future, his name should be depicted as DHRANGI VIRMABHAI KALABHAI in all documents and service records via affidavit no. BX 717796 Date: 09/04/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भू-खण्ड कमांक 150 एवं 151 का भाग जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 193/2 राजस्व ग्राम गणेशपुरा का भाग होकर वार्ड क्रमांक 61, राधिका धाम कॉलोनी, ग्राम गणेशपुरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-प्लॉट क्रमांक 158 एवं 159 का भाग, उत्तर में-प्लॉट क्रमांक 151 का शेष भाग, दक्षिण में-प्लॉट क्रमांक 150 का शेष भाग स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका सिमरन कुशवाह पुत्री श्री अशोक कुशवाह निवासी न्यू रेलवे कॉलोनी, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री उमेश कुमार सिंघल पुत्र श्री स्व. श्री के.सी. सिंघल द्वारा मुख्त्यारआम श्री दीपक राजपूत पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी बड़ागांव मुरार से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सम्पत्ति अनुबंधकर्ता को बतौर उत्तराधिकारी उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती साधना सिंघल की मृत्योपरांत प्राप्त हुई है जिसका विक्रय अनुबंध-पत्र आवेदिका के पक्ष में निष्पादित किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 14 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांक: 10/04/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भूखण्ड क्रमांक 03 ब्लॉक-बी जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 1279/1/1, 1278/1/2, 1275/2, 1278/2 राजस्व ग्राम बडवारी पटवारी हल्का क्रमांक 48 का भाग होकर ग्राम बडवारी, तहसील बामौर, जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है: पूर्व में-प्लॉट क्रमांक 08 एवं प्लॉट क्रमांक 09 का शेष भाग, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में-प्लॉट क्रमांक 04, दक्षिण में-चौहान जी का प्लॉट क्रमांक 02 स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामगोपाल निवासी ग्राम नौगांव, पोस्ट, रिठौराकलां, जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी पंकज सिंह भदौरिया पुत्र श्री मोहन सिंह भदौरिया निवासी वार्ड क्रमांक 07, राव साहब ठोक, अकोड़ा, लहार, जिला भिण्ड, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है।यह कि, उक्त सर्वे संख्यांक की भूमि को अनुबंधकर्ता / सम्पत्ति स्वामी अन्य सह-स्वामी के साथ संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से अनबंध-पत्र का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है।यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात विक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांक: 10/04/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता, डायरेक्टर मैसर्स आर. आर.डी. बिल्डकॉन प्रा.लि. जोकि पूर्व में मैसर्स श्री न्यूट्रिक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से थी जिसका कार्यालय सचेती पेट्रोल पम्प, नाका चंद्र बदनी, लश्कर, ग्वालियर के जनरल मैनेजर श्री एन. आर. शारडा के द्वारा एक रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.03.2012 को श्रीमती मुकुलिता उपाध्याय पत्नि राजेन्द्र उपध्याय को प्लॉट क. 1 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर का सम्पादित किया था। सम्पादन के दौरान मुकुलिता उपाध्याय द्वारा 15,00,000/- (पंद्रह लाख) एवं 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये के दो चैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिये थे जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चैक क. 106034 उन्होने वापिस प्राप्त कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये मय ब्याज के कम्पनी के खाते में भुगतान किये जाने का कथन किया था। मुकुलिता उपाध्याय ने कय किये गये प्लॉट का अधिपत्य भी मेरे पक्षकार को सौप दिया था तथा यह कथन दिया कि जब मैं आपको पूरी रकम 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये मय ब्याज के दे दूँगी तो आप मुझे अलग से लिखा पढी कर आप मुझे मौके पर भौतिक अधिपत्य दे देना। मेरे पक्षकार द्वारा मौके पर प्लॉट क्र. 1 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर पर कब्जा कर अपना बोर्ड लगवा दिया गया। मेरे पक्षकार द्वारा दिनांक 29.08.2023 को. मुकुलिता उपाध्याय से 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये मय ब्याज की मांग की तो उन्होंने रकम देने से मना कर दिया था, आम सूचना प्रकाशन उपरांत लिखित सूचना दिनांक 05.09.2023 को देने के पश्चात उनके द्वारा मौखिक अश्वासन मय जमानतदार के दिया गया कि तीस माह में कुल रकम 15,00,000/- रूपये मय ब्याज के अदा कर अलग से लिखा पढी कर मौके पर भौतिक अधिपत्य प्राप्त कर लेवेगी। मेरे पक्षकार द्वारा तीस माह उपरांत दिनांक 10.04.2026 को श्रीमती मुकुलिता उपाध्याय पत्नी राजेन्द्र उपध्याय से 15,00,000/- रूपये मय ब्याज के मांग की गई तो उन्होने देने से साफ पुन: मना कर दिया। अत: सर्वधारण को सुचित किया जाता है कि प्लॉट क. 1 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर को कोई भी कय व विकय संव्यवहार न करें और ना ही मेरे अधिपत्य में हस्ताक्षेप करे अथवा करावे।
आज्ञा से- पुरुषोत्तम दास गुप्ता, डायरेक्टर मैसर्स आर.आर.डी. बिल्डकॉन प्रा.लि. (पूर्व नाम- मैसर्स श्री न्यूट्रिक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड) मोबाईल नं. 9425116270
द्वारा- बल्देव कुमार अभिभाषक
म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर मोबा. 094253-38018

आम सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता, डायरेक्टर मैसर्स आर. आर.डी. बिल्डकॉन प्रा.लि. जोकि पूर्व में मैसर्स श्री न्यूट्रिक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से थी जिसका कार्यालय सचेती पेट्रोल पम्प, नाका चंद्र बदनी, लश्कर, ग्वालियर के जनरल मैनेजर श्री एन. आर. शारडा द्वारा एक रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.03.2012 को शोभिता उपाध्याय पत्नी प्रदीप उपध्याय को प्लॉट क. 2 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर का सम्पादित किया था। सम्पादन के दौरान शोभिता उपाध्याय द्वारा 15,00,000/- (पंद्रह लाख) एवं 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये के दो चैक दिये थे जोकि चैक क. 003785 एवं 003786 थे जो उन्होने वापिस प्राप्त कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये मय ब्याज के कम्पनी के खाते में भुगतान किये जाने का कथन किया था। शोभिता उपाध्याय ने कय किये गये प्लॉट का अधिपत्य भी मेरे पक्षकार को सौंप दिया था तथा यह कथन दिया कि जब मैं आपको पूरी रकम 30,00,000/- (पंद्रह लाख) रूपये मय ब्याज के दे दूँगी तो आप मुझे अलग से लिखा पढी कर आप मुझे मौके पर भौतिक अधिपत्य दे देना। मेरे पक्षकार द्वारा मौके पर प्लॉट क. 2 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर पर कब्जा कर अपना बोर्ड लगवा दिया गया। मेरे पक्षकार द्वारा दिनांक 29.08.2023 को शोभिता उपाध्याय से 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये मय ब्याज की मांग की तो उन्होंने रकम देने से मना कर दिया। आम सूचना प्रकाशन उपरांत लिखित सूचना दिनांक 05.09.2023 को देने के पश्चात उनके द्वारा मुझे मौखिक अश्वासन मय जमानतदार के दिया गया कि तीस माह में कुल रकम 30,00,000/- रूपये मय ब्याज के अदा कर अलग से लिखा पढी कर मौके पर भौतिक अधिपत्य प्राप्त कर लेवेगी। मेरे पक्षकार द्वारा तीस माह उपरांत दिनांक 10.04.2026 को श्रीमती शोभिता उपाध्याय पत्नी प्रदीप उपध्याय से 30,00,000/-रूपये मय ब्याज के मांग की गई तो उन्होने देने से साफ पुन: मना कर दिया। अत: सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि प्लॉट क. 2 क्षेत्रफल 297.31 वर्गमीटर, ईस्ट पार्क एवेन्यू, सिंटी सेंटर, ग्वालियर को कोई भी कय व विक्रय सव्यवहार न करे और ना ही मेरे अधिपत्य में हस्ताक्षेप करे अथवा करावे।
आज्ञा से- पुरुषोत्तम दास गुप्ता, डायरेक्टर मैसर्स आर.आर.डी. बिल्डकॉन प्रा.लि. (पूर्व नाम- मैसर्स श्री न्यूट्रिक डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड) मोबाईल नं. 9425116270
द्वारा- बल्देव कुमार अभिभाषक
म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर मोबा. 094253-38018

संबंध विच्छेद आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार राकेश गुप्ता पुत्र श्री मेवाराम गुप्ता, उम्र-लगभग 54 वर्ष, निवासी-गोशपुरा नं. 1, हजीरा, ग्वालियर म.प्र.। जिनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा, पुत्री आयुषी, पुत्री आशी व पुत्र विशाल है जिनमें से उनकी पत्नी सुधा की मृत्यु वष्र 2019 में हो चुकी है तथा बड़ी पुत्री आयुषी की शादी वर्ष 2022 में हो चुकी है। जिस कारण साझा गृहस्थी में शेष सदस्यों में मेरे पक्षकार के परिवार में अभी अविवाहित पुत्री आशी व अविवाहित पुत्र विशाल है, ये दोनों ही वयस्क हैं। मेरे पक्षकार का स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक रिहायशी मकान मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर नगर निगम वार्ड क्रमांक-12 में स्थित है। मेरा पक्षकार अपनी सभी चल व अचल सम्पत्तियों से अपने अविवाहित पुत्र विशाल को बेदखल कर दिया है और उसे संबंध भी विच्छेद कर दिये हैं, क्योंकि मेरे पक्षकार का अविवाहित पुत्र विशाल नशे का आदि हो चुका है तथा वह अपने ही घर में नशे के लिए अपने परिवार जन की मारपीट कर घर गृहस्थी का सामान आये दिन तोड़ फोड़ कर देता है एवं वह मेरे पक्षकार व उसकी अविवाहिता पुत्री आशी के प्रति अभद्र व्यवहार करता है। मेरे पक्षकार का पुत्र विशाल दिनांक 31.03.2026 को घर से बिना बतायें कहीं चला गया। उक्त इन सब बातों से अब मेरा पक्षकार अविवाहित पुत्र विशाल से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। वह इस आम सूचना के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित करता है कि भविष्य में विशाल के मध्य हुए किसी भी विवाद के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा आज दिनांक के बाद मेरे पक्षकार का विशाल से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं होगा। मेरा पक्षकार अपनी चल अचल सम्पत्ति में से अपने अविवाहित पुत्र विशाल को बेदखल करता है भविष्य में उसके द्वारा किए गए किसी भी समव्यवहार लड़ाई झगड़ा कानूनी कार्यवाही लेनदेन इत्यादि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसमें मेरे पक्षकार व उसके परिवार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। तदनुसार सूचित हो।
प्रेषक: **राकेश गुप्ता**
द्वारा अभिभाषक
अवधेश सिंह तोमर (एडवोकेट)
कार्यालय-तोमर लॉ एण्ड एसोसिएट्स, एण्डोरी हाउस, खण्ड़ेश्वरी बाबा मंदिर के पास, हजीरा चार शहर का नाका रोड़, जिला ग्वालियर म.प्र.-474003 मो: 9039404652

न्यायालय - माननीय द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)
प्रकरण क्रमांक: 1478/23 हि.वि.अधि.
श्रीमती रूचि साहू.................. आवेदिका
बनाम
शुभम् साहू .... अनावेदक

// सूचना-पत्र //

बनाम:- अनावेदक शुभम् साहू पुत्र श्री महेश साहू आयु-29 वर्ष, निवासी- शिक्षा कान्वेंट स्कूल के पास, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

// सूचना-पत्र //

यहकि, आवेदिका **श्रीमती रूचि साहू पत्नि श्री शुभम् साहू पुत्री श्री महेन्द्र साहू आयु-28 वर्ष, निवासी-आखिरी बोरिंग गली नं.-03, पुरानी बस्ती, फूटी बस्ती, हाईवे के पास, हुरावली, मुरार, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.)** के द्वारा आपके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष याचिका अन्तर्गत धारा 13 (1) **हि.वि.अधि.** के तहत् प्रस्तुत की गई हैं। अत: जरिये सूचना-पत्र से आप अनावेदक **शुभम् साहू** को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना जबाव इस न्यायालय से नियत पेशी दिनांक 13.05.2026 को प्रात: 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता है अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी। अत: दिनांक **08 अप्रैल 2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गुप्ता)
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.)